पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 23/2013

अनवान :

1. इकबाल पुत्र सफीमोहम्मद जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
2. हनीफ पुत्र फुलेखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 तहसील भादरा।
3. बंशीरखां पुत्र नबाबदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड 22 भादरा तहसील भादरा। मृतक 3/1 हमीद खां 3/2 मजीद खां 3/3 खान मोहम्मद 3/4 श्योकत खां 3/5 सलामी 3/6 फुलसितारा
4. लिलुखां पुत्र शेरमोहम्मद जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 तहसील भादरा।

- वादीगण

बनाम

1. सरबरदीन पि0मु0 फजलु जाति लुहार निवासी वार्ड सं0 19 मोहल्ला मोचियान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। मृतक
   1/1 शादी बानो पत्नि 1/2 जफरदीन पुत्र, 1/3 रहमती पुत्री 1/4 मजीदा पुत्री 1/5 माफिया पुत्री 1/6 गुलजारा उर्फ गुलशन पुत्री 1/7 मदीना पुत्री 1/8 ताज बानो
2. नजीरदीन पुत्र रमजान जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
3. अजमेरी पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
4. यासीन पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
5. आमीन पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
6. मेहरदीन उर्फ मोमदीन पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
7. शकूरदीन पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
8. गफुर पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
9. शमशेर पुत्र अलादीन कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।

- असल प्रतिवादीगण

10. कासम पुत्र यासीनखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
11. शरीफ पुत्र यासीनखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
12. मुन्शीखां पुत्र यासीनखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
13. गुलाममोहम्मद पुत्र फुलेखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
14. फैजमोहम्मद पुत्र फुलेखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
15. रिजाकखां पुत्र फुलेखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
16. गोरूखां पुत्र शेरमोहम्मद कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
17. बख्तावरी पत्नी अजीज कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
18. मलकखां पुत्र अजीज कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
19. सुलतानखां पुत्र अजीज कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
20. हनीफ पुत्र जुसफ कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
21. हुसेन पुत्र जुसफ कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
22. इशाकखां पुत्र देलुखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र कुमार गोयल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं दावा वादीगण साबित नहीं होने के कारण दावा वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 23/2013

अनवान :

1. इकबाल पुत्र सफीमोहम्मद जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
2. हनीफ पुत्र फुलेखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 तहसील भादरा।
3. बंशीरखां पुत्र नबाबदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड 22 भादरा तहसील भादरा। मृतक 3/1 हमीद खां 3/2 मजीद खां 3/3 खान मोहम्मद 3/4 श्योकत खां 3/5 सलामी 3/6 फुलसितारा
4. लिलुखां पुत्र शेरमोहम्मद जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 तहसील भादरा।

- वादीगण

बनाम

1. सरबरदीन पि0मु0 फजलु जाति लुहार निवासी वार्ड सं0 19 मोहल्ला मोचियान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। मृतक
   1/1 शादी बानो पत्नि 1/2 जफरदीन पुत्र, 1/3 रहमती पुत्री 1/4 मजीदा पुत्री 1/5 माफिया पुत्री 1/6 गुलजारा उर्फ गुलशन पुत्री 1/7 मदीना पुत्री 1/8 ताज बानो
2. नजीरदीन पुत्र रमजान जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
3. अजमेरी पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
4. यासीन पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
5. आमीन पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
6. मेहरदीन उर्फ मोमदीन पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
7. शकूरदीन पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
8. गफुर पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
9. शमशेर पुत्र अलादीन कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।

- असल प्रतिवादीगण

10. कासम पुत्र यासीनखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
11. शरीफ पुत्र यासीनखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
12. मुन्शीखां पुत्र यासीनखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
13. गुलाममोहम्मद पुत्र फुलेखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
14. फैजमोहम्मद पुत्र फुलेखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
15. रिजाकखां पुत्र फुलेखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
16. गोरूखां पुत्र शेरमोहम्मद कुम्हार निवासी वार्ड सं0 22 भादरा तहसील भादरा।
17. बख्तावरी पत्नी अजीज कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
18. मलकखां पुत्र अजीज कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
19. सुलतानखां पुत्र अजीज कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
20. हनीफ पुत्र जुसफ कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
21. हुसेन पुत्र जुसफ कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।
22. इशाकखां पुत्र देलुखां कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

दावा बाबत : इस्तकरारहक व रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र कुमार गोयल **: वादीगण**

वकील श्री कपूरचन्द शर्मा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 4.6.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि सुणा, भादर व नबाबदीन के समय की चक 15 जोगीवाला में मु0नं0 35 के किला नं0 5 व मु0नं0 19 के किला नं0 18 कुल 2 किला वादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि पर करीब 100 वर्ष से ज्यादा समय से निरन्तर बिना किसी रूकावट के शान्तिपूर्वक पूर्व में वादीगण के पूर्वजों का एवं उनके बाद वादीगण की कब्जा काश्त में चले आ रहे है। उक्त दो किलों का लगान भी निरन्तर वादीगण व उसके परिवार ने अदा किया है।

पूर्व में उक्त दो किला कृषि भूमि वादीगण के मौरूस मुसलम वल्द आलम के नाम खातेदारी दर्ज थी। सम्वत् 2008 के राजस्व रिकार्ड में मुसलम के नाम 180 बिघा 4 बिस्वा कच्ची में दर्ज थी जो मुसलम की मृत्यु के पश्चात् उकसे पुत्र सुणा, भादर व नबाबदीन के नाम दर्ज हो गई जिसमें किला नं0 5 व 18 शामिल थे।

कोलोनाईजेशन विभाग द्वारा जमाबन्दी तैयार करते समय उक्त 180 किला 4 बिस्वा कच्ची भूमि को पक्के बीघा में 106 किला में परिवर्तित कर दी गई जबकि 180 बीघा 4 बिस्वा के पक्के बीघा 108 बनते है। कोलोनाईजेशन विभाग ने पत्थर सं0 व मुरबा बन्व्दी के हिसाब से पक्के बीघा बनाये थे जिसमें पत्थर सं0 481/475 मु0नं0 35 के किला न0 5 तो मुसलम के पुत्र सुणा भादर व नबाबअली के नाम तो दर्ज कर दिया गया परन्तु मु0नं0 19 के किला नं0 18 पत्थर नं0 481/473 कोलोनाईजेशन विभाग द्वारा उनके नाम दर्ज करने से रह गया जबकि उक्त दोनों किले निरन्तर पूर्व में वादीगण के बुजुर्गों के नाम एवं वर्तमान में वादीगण के तथा प्रतिवादीगण सं0 10 ता 22 के कब्जाकाश्त में चले आ रहे है।

वादीगण व उनके पूर्वज काश्तकार पेशा व्यक्ति थे तो अनपढ़ व अशिक्षित होने के कारण राजस्व रिकार्ड व उसमें किये गय इन्द्राज से अनभिज्ञ थे। वादीगण द्वारा हाल ही में जमाबन्दी की नकल लेने पर यह ज्ञात हुआ कि चक 15 जोगीवाला के मु0नं0 35 के किला नं0 5 की कृषि भूमि प्रतिवादी नजीर पुत्र रमजान, जमालदीन वल्द फता, अजमेरी, यासीन, मेहरदीन उर्फ मोमदीन, शकूरदीन, गफुर, शमशेर पिसरान अलादीन के नाम अन्य भूमि के साथ दर्ज हो गई। वर्तमान जमाबन्दी में नजीर व जमालदीन के नाम 115 हिस्सा व अलादीन के वारिसान अजमेरी वगैरहा के नाम 190 हिस्सा भूमि दर्ज है जिसमें किला नं0 5 शामिल है। इसी प्रकार चक 15 जोगीवाला के मु0नं0 19 के किला नं0 18 प्रतिवादी सरबरदीन के नाम खातेदारी दर्ज हो गया।

वाद पेश होने के उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने जबाबदावा पेश कर कथन किया कि चक 15 जोगीवाला के मु0नं0 35 के किला नं0 5 व मु0नं0 19 के किला नं0 18 कुल 2 किला नं0 कृषि भूमि सुणा, भादर व नबाबदीन के नाम रिकार्ड में कभी भी दर्ज नहीं थी न ही उनके कब्जा काश्त में थी। इस सम्बध में वादीगण ने कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। उक्त भूमि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्वत् 2008 के राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि कभी भी मुसलम वल्दा आलम के नाम दर्ज नहीं हुई। वादीगण ने ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं

सहायक कलक्टर (कार्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

किया कि मुसलम वल्द आलम के नाम की भूमि व किला नं0 5 व 18 की भूमि का कोई मिलान खसरा प्रस्तुत नहीं किया।

वादीगण ने पूराने 180 किला नं0 4 बिस्वा के वर्तमान पक्के किला 108 बनने बाबत, खसरा–मुरबा–किला मिलान का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है एवं रास्तों, खालों आदि में चली गई भूमि को कम नहीं कर मनमर्जी से खाम भूमि व पुख्ता भूमि का बिना किसी रिकार्ड के व बिना किसी मिलान के मौखिक विवरण दर्ज किया है जो कतई स्वीकार नहीं है। सुणा, भादर व नबाबअली की खतौनी से पत्थर नं0 481/473 में किला नं0 18 दर्ज नहीं है। इस प्रकार मु0नं0 19 के किला नं0 18 से वादीगण का कोई सम्बंध नहीं है न ही मु0नं0 19 के किला नं0 18 वादी पक्ष के कब्जा काश्त में रहा है। मु0नं0 19 के किला नं0 18 की 1 किला कृषि भूमि मिन उतरदाता के कब्जा काश्त में है एंव उक्त 1 किला भूमि चक बन्दी के समय खतोनी एकीकरण विभाग में मीन उत्तरदाता के खाता में दर्ज है इस प्रकार 1 किला भूमि मीन उत्तरदाता की खातेदारी कृषि भूमि है।

प्रतिवादी सं0 3 ता 22 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद एंव प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. क्या चक 15 जोगीवाला के मु0नं0 35 के किला नं0 5 व मु0नं0 19 के किला नं0 18 की दो किला कृषि भूमि में वादी सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 10 ता 15 का 1/5 हिस्सा व वादी सं 3 तथा 4 एवं प्रतिवादी सं0 16 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 18 ता 22 शामिल रूप से 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं वादीगण जमाबन्दी से प्रतिवादी सरवरदीन के नाम से मु0नं0 19 किला नं0 18 हटवाकर मु0नं0 35 किला नं0 5 में प्रतिवादी अजमेरी, नजीर, यासीन, आमीन, मेहरदीन, शकुरदीन, शकूरदीन, गफुर, शमसेर व उसके साथ दर्ज जमालदीन पुत्र फता का नाम हटवाकर मुताबिक घोषणा खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है ?

   — वादी

2. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में वादी इकबाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 15 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2061 से 64 प्रदर्श 1, 2, 3, फोटो प्रति प्रमाणित नामान्तरकरण रजि0 चक 15 जेजीडब्ल्यु प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी 15 जोगीवाला प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतोनी कोलोनाईजेशन विभाग चक 15 जेजीडब्ल्यु प्रदर्श 6, फोटो प्रति प्रमाणित खसरा गिरदावरी चक 15 जेजीडब्ल्यु प्रदर्श 7, 8, 9, 10, 11, 13 फोटो प्रति प्रमाणित पर्चा खतौनी चक 15 जेजीडब्ल्यु प्रदर्श 12, 15, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 15 जेजीडब्ल्यु प्रदर्श 14 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु रखी गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सं0 1 जफरूदीन के बयान करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि पुरानी जमीन 180 किला जिसके नये किला 108 किला बनते है। जबकि 106 किला बनाए गए। किला नं0 5 व किला नं0 18 हमारे दर्ज होने से रह गया। प्रदर्श 15 में किला नं0 18 हमारे खाते में दर्ज है। सैटलमेन्ट आफिसर ने बिना सक्षम अधिकारी के इसे प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया। हमारा कब्जा काश्त है। प्रतिवादी ने अपने बयानों में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

किला नं0 18 सम्बन्धी जानकारी से इन्कार किया। प्रतिवादी ने मेरे दस्तावेजी साक्ष्यों का कोई खण्डन नहीं किया है।

वकील प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित 2 किला भूमि वादी की अलाटमेन्ट भूमि नहीं है न ही इनके पुराने कब्जे की भूमि है। वादी को अपना दावा अपने पेरों पर खड़े होकर साबित करना होता है। वादी ने अपने वाद में कथन किया कि कोलोनाईजेशन विभाग के पर्चा खतौनी में उक्त किले दर्ज नहीं किए जबकि अब कह रहे है कि उक्त किले पर्चा खतौनी में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है। अलाटमेन्ट आदेश या सनद भी पेश नहीं की गई है। वादी ने यह साबित नहीं किया है कि उक्त भूमि पुश्तैनी नोतोड़ की हुई है या आवंटन शुदा है। कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट या गिरदावरी नहीं है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तीन तनकीयात कायम की गई है। तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

तनकी सं0 1 : तनकी सं0 1 को साबित करने का भार वादी पर है। इस तनकी के सन्दर्भ में वादी ने अपने मौखिक कथनों एवं जो दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत की है का विवेचन करने पर इस सन्दर्भ में वादी ने चक 15 जोगीवाला के मु0नं0 35 के किला नं0 5 व मु0नं0 19 के किला नं0 18 कुल दो किला भूमि 100 वर्षो से ज्यादा अपने दावा में अपने पूर्वजों एवं उनके बाद वादीगण की कब्जा काश्त में होने तथा उक्त 2 किला भूमि इसी क्रम में अपने दावा में सम्वत् 2008 के राजस्व रिकार्ड में मुस्लम के नाम 180 बीघा 4 बिस्वा भूमि कच्ची दर्ज होने एवं उक्त विवादित 2 किला भूमि उसी का भाग होने एवं कोलोनाईजेशन विभाग द्वारा जमाबन्दी तैयार करते समय 108 बीघा की जगह 106 बीघा दर्ज करने के कथन अपने दावा में किये है। जबकि वादीगण ने उक्त दोनों किलों की बाबत न तो अपने कब्जा काश्त की कोई खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की व न ही ऐसा कोई खसरों से मुरबा व किला बनने का मिलान क्षेत्रफल पेश किया, जिससे ये साबित हो सके कि इस खसरा की भूमि से कोनसा मुरबा–किला बना है, न ही ऐसा कोई दस्तावेज अपने साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है। इस प्रकार वादीगण उक्त दोनों विवादित किलेजात कभी राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार/गैरखातेदार बतौर काश्तकार की प्रविष्टि कभी उनके नाम दर्ज रही हो साबित नहीं कर पाये है, तथा न ही विवादित भूमि पर उनका कब्जा काश्त साबित पाया गया है। इस प्रकार वादीगण उक्त तनकी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। इसलिए तनकी सं0 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

चूकि : दावा में एक ही तनकी विरचित की गई थी जो वादीगण के विरूद्ध निर्णित हो चुकी है। फलत : दावा वादीगण साबित करने में असफल रहने के कारण दावा वादी खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4·6·18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़